राजस्व लोक अदालत केम्प पचपदरा

न्यायालय – सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा जिला बाड़मेर पीठासीन अधिकारी श्री उदयभानु चारण, आर.ए.एस

मुकदमा नम्बर –18 / 2016

बनाम

प्रार्थीगण	विप्रार्थीगण
1 [illegible] पुत्र श्री [illegible] भील निवासी [illegible]	1 बाबूराम पुत्र मेलारामजी जाति भील 2 सुरताराम पुत्र लादूरामजी जाति भील 3 शंकर पुत्र कलीया जाति भील निवासी पचपदरा 4 चुन्नीलाल पुत्र नगारामजी जाति भील 5 श्रीमति सुन्दर पत्नि लखीरामजी भील निवासी पचपदरा 6 श्रीमति विमलादेवी पत्नि जुगलकिशोर जाति श्रीमाली निवासी पचपदरा 7 राज सरकार जरिये तहसीलदार पचपदरा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा आर एल आर एक्ट 111,128

आदेश दिनांक :– 10.05.2016

प्रस्तुत प्रकरण में संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र मे कथन किया है कि प्रार्थीगण का खातेदारी का खेत सरहद मौजा पचपदरा पटवार हल्का पचपदरा के खेत खसरा नं0 56 रकबा 1बीगा 4 बिस्वा (480 / 1060) भूमि स्थित है। विप्रार्थीगण संख्या 1 ता 9 उक्त खातेदारी भूमि के पडोसी है , प्रार्थीगण के खेत के पडोसी में, स्थित होने के कारण अक्सर विप्रार्थीगण सेढो को लेकर विवाद करते रहते है। प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण के मध्य सीमा को लेकर विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थीगण खातेदारी भूमि की सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगड्डी पेमाईश एवं नेखमबन्दी करवाना चाहता है। प्रार्थीगण ने पेमाईश एवं नेखमबन्दी करने का निवेदन किया है। प्रार्थीगण की दरखास्त दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया, जिनकी ओर से अधिवक्ता विप्रार्थी सं. 1 ता 3 ने जबाब पेश किया एवं 4 ता 7 व 9 के अधिवक्ता ने जबाब पेश न कर सीधे ही बहस का निवेदन किया। विप्रार्थी सं. 9 बावजूद रजिस्टर्ड नोटिस के अनुपस्थित अतः उक्त के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है। दोनो पक्षो के अधिवक्तागण की बहस को सुना गया। प्रार्थीगण के वक्त काश्त प्राथीगण व विप्रार्थीगण के मध्य सीमाओ को लेकर विवाद बना रहता है, इस कारण प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमी की पेमाईश एवं नेख्मबन्दी करवाना चाहते है। प्रार्थीगण विवादित भूमि के खातेदार काश्तकार राजस्व रेकार्ड मे दर्ज होने के कारण प्रार्थीगण की दरखास्त स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

अतः प्राथीगण की दरखास्त स्वीकार की जाकर विवादित भूमि की पेमाईश एवं नेख्मबन्दी करने हेतु भूमापक कर्ता को नियुक्त किया जाता है। भूमापक कर्ता को निर्देश दिये जाते है कि वो दोनो पक्षो के रूबरू किसी मुस्तकील / स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पैमाईश करे व भूमापक कर्ता का यह भी निर्देश दिये जाते है कि न्यायालय से स्थगन आदेश न हो तो वो दोनो पक्षो के रूबरू विवादित भूमि की मौके की स्थिति मे परिवर्तन किये बिना मुस्तकील / स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पेमाईश करे व नेखमबन्दी कर पालना रिपोर्ट पेश करे वक्त पेमाईश हल्का पटवारी को साथ रखे । तहरीर जारी हो। भू– मापक आयुक्त का खर्चा प्रार्थी नियमानुसार अदा करे ।

पत्रावली फैसल सुमार होकर के बाद तामिल के दाखिल दफतर हो ।

आदेश खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(S.D.O.) बालोतरा

(उदय भानु चारण)
सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

Scanned by CamScanner